भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3475

31 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति"

3475. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) वर्तमान में देश में उपयोग किए जा रहे हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों का हरियाणा राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों(एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में तैयार की। फिलहाल, फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 01 अप्रैल,2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सब्सिडी दी जानी है। 28.03.2023 की स्थिति के अनुसार, ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के 67 मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को पंजीकृत किया गया है और फेम-इंडिया स्कीम के चरण-।। के तहत लगभग 9.74 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को सहायता प्रदान की है ताकि नियत समय में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

i. सरकार ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी ताकि देश में उनके विनिर्माण को बढ़ावा मिले। स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी निर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487_ पर है।

ii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटक विषयक उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जिसे 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर है।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने 13.04.2018 को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना संबंधी स्पष्टीकरण जारी किया। यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए बैटरी चार्ज करने के कार्य के दौरान चार्जिंग स्टेशन बिजली के पारेषण, वितरण या व्यापार [जिसके लिए अधिनियम के उपबंधों (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 12 की तुलना में) के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता होती है] में से कोई भी कार्य निष्पादित नहीं करता। इसलिए, चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। विद्युत मंत्रालय केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए अधिदेशित है और इसने इसके लिए पुनरीक्षित समेकित दिशानिर्देश और मानक 14.01.2022 को (07.11.2022 को संशोधित) जारी किए हैं।

(घ) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन पोर्टल के अनुसार, 06.03.2023 की स्थिति के मुताबिक़, हरियाणा राज्य सहित भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में है।

अनुलग्नक

06-03-2023 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	इलेक्ट्रिक वाहन संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	182
2	आंध्र प्रदेश	51,322
3	अरुणाचल प्रदेश	24
4	असम	94,929
5	बिहार	1,28,885
6	चंडीगढ़	5,533
7	छत्तीसगढ	40,516
8	दिल्ली	2,03,263
9	गोवा	8,710
10	गुजरात	99,236
11	हरियाणा	**56,243**
12	हिमाचल प्रदेश	1,877
13	जम्मू और कश्मीर	7,080
14	झारखंड	28,395
15	कर्नाटक	1,83,536
16	केरल	65,545
17	लद्दाख	47
18	मध्य प्रदेश	42,957
19	महाराष्ट्र	2,26,134
20	मणिपुर	1,052
21	मेघालय	83
22	मिजोरम	76
23	नागालैंड	60
24	ओडिशा	45,562
25	पुदुचेरी	3,376
26	पंजाब	25,597
27	राजस्थान	1,43,273
28	सिक्किम	21
29	तमिलनाडु	1,29,153
30	त्रिपुरा	12,229
31	संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	303
32	उत्तर प्रदेश	4,65,432
33	उत्तराखंड	42,308
34	पश्चिम बंगाल	57,512
	कुल योग	**21,70,451**
